न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/156/2018

प्रवेश तिथि 13.11.2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री ज्ञानप्रकाश मीना पुत्र श्री रामसिंह मीना, निवासी–ग्राम–गोविन्दगढ, वार्ड 19 गंगा मन्दिर के पीछे, तहसील–गोविन्दगढ (अलवर)		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 18.12.2018

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं और ना ही कोई जवाब नोटिस प्राप्त हुआ।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने उक्त अधिनियम अंतर्गत आवेदन–पत्र दिनांकः 08.10.2018 के माध्यम से लोक सूचना अधिकारी जिलाधीश कार्यालय, अलवर को आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी विभाग के क्षेत्राधीन संधारित सूचना उपलब्ध कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन दिनांकः 08.10.2018 राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम, अलवर कार्यालय द्वारा पत्रांकः लो.सू.अ./अन्तरण/2018/2228–29 दिनांकः 02.11.2018 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग/उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर) को अन्तरित किया गया है।
5. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आवेदक को उक्त प्रार्थना–पत्र दिनांकः 08.10.2018 में वर्णित सूचनायें उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण आवेदक द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांकः 08.11.2018 के माध्यम से इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम. द्वितीय/आर.टी.आई.अपील/2018/2756–57 दिनांकः 13.11.18, 2779–80 दिनांकः 27.11.18 व 2793–94 दिनांकः 04.12.18 के माध्यम से तलब कर न्यायालय में जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया किन्तु बार–बार नोटिस जारी करने के बावजूद भी प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से आदिनांक तक कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही किसी प्रकार का जवाब नोटिस प्राप्त हुआ।
7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी पक्ष अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु सजग व गम्भीर नहीं है। प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से आवेदक के प्रथम आवेदन–पत्र दिनांकः 08.10.2018 के संबंध में अधिनियम की धारा 7(1) के तहत ना ही विनिर्दिष्ट समयावधि में सूचना उपलब्ध कराई गई और ना ही अधिनियम की धारा 7(8) व 8(1) क से 8(1) ञ में उपलब्ध किन्हीं उपाबन्धों के तहत आवेदन अस्वीकृति/खारिज करने संबंधी जानकारी/विनिश्चय से अपीलार्थी को अवगत कराया गया अर्थात् सूचना उपलब्ध नहीं कराने का कोई युक्तियुक्त कारण आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं प्रथम अपील में बार–बार जारी नोटिसेज के बावजूद भी अपीलार्थी को सूचना प्रेषित नहीं की है।

अति. जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

8. अस्तु अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है।

9. प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय की प्रति प्राप्ति के 10 दिवस में अपीलार्थी को अभिलेख पर उपलब्ध वांछित सूचनाएं नियमानुसार स्पष्ट रूप से अधिप्रमाणित कर निःशुल्क ही अपीलार्थी को पंजीकृत पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जावे एवं अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अधीनस्थ कर्मियों के विरूद्ध सेवा नियमों में वर्णित प्रक्रियाजनित कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

10. यहॉं यह भी वर्णन करना उचित होगा कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की कठोरता, समयबद्धता से पालना के लिए जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में आवेदकों को सहज भाव से सूचना की अदायगी में अविलम्ब सूचना प्रेषित की जावे।

11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

12. निर्णय घोषित ।

(ओ.पी.जैन)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)